जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

(ITDA)

(E.mail- itda.chaibasa14@gmail.com)

इच्छा की अभिव्यक्ति

वित्तीय वर्ष 2018–19 में केन्द्रीय सहायता (SCA) योजना के अंतर्गत प्रखण्ड बंदगॉव के विभिन्न ग्रामों में ''उच्च तकनीकि आधारित केला की खेती'' कार्यान्वयन हेतु गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्था– प्रयास, हजारीबाग एवं जन कल्याण विकास, केन्द्र, गढवा को कार्यादेश दिया गया था। गैर सरकारी संस्था–प्रयास, हजारीबाग एवं जन कल्याण विकास केन्द्र, गढवा के उपर अन्य जिलो में अपराधिक मामला होने के कारण कार्यालय आदेश ज्ञापांक 980, दिनांक 24–07–2019 के द्वारा कार्य आदेश रद्व किया गया है।

गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्था –प्रयास, हजारीबाग एवं जन कल्याण विकास केन्द्र, गढवा द्वारा के किये गये कार्य का अवशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए अनुभवी गैर सरकारी संस्थाओं से प्रस्ताव का मांग किया जाता है। इच्छुक स्वयं सेवी संस्था अपना प्रस्ताव मुहर बंद लिफाफा में **दिनांक 15–10–2019 के अपराहन् 04:00 बजे** तक **समेकित जनजाति विकास अभिकरण कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा** में जमा कर सकते है।

योजना निम्न प्रकार है –

क्र	पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	योजना का नाम	परियोजना अवधि	कुल किसानों की संख्या	कुल भूमि क्षेत्र (एकड में)	अभ्युक्ति
1	ओटार	बस्टमपदा	उच्च तकनिकी आधारित केला की खेती	3 वर्ष	7	5.50	ओटार एवं लाण्डुपदा पंचायत के रद्द किये गये कार्य को पूर्ण करने हेतु
		जोमरो			11	14.30	
2	लाण्डुपदा	लाण्डुपदा		3 वर्ष	32	26.18	

नियम एवं शर्त

1. गैर सरकारी संस्थाओं जो सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट –1860,ट्रस्ट अधिनियम–1822,कम्पनीज/अधिनियम 1958 के तहत निबंधित हो एवं सरकारी एवं सरकारी उपक्रम/निगम/निकाय/कॉपरेटिव/समिति के अधीन लोकहित में कार्य कर रहे हो तथा जिसका निबंधन का तीन साल पूरा हो गया हो, को निबंधन प्रमाण पत्र,स्मृति पत्र एवं नियमावली की सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।
2. संस्था को विगत दो वर्षो (2017–2018 एवं 2018–2019) का अदयतन आयकर रिटर्न की स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति तथा चार्टर्ड एकाउण्टेंट का अंकेक्षण प्रतिवेदन/Balance Sheet संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. संस्था का चल –अचल सम्पति का पूर्ण ब्योरा देना होगा।
4. संस्था के पास वैतनिक/अवैतनिक मानदेय पर कार्यरत तकनिकी एवं अन्य कर्मियों का विवरणी उनके योग्यता प्रमाण पत्र की छाया प्रति कार्यानुभव के साथ संलग्न करना होगा।
5. संस्था का OFFICE BEARER एक ही परिवार के सदस्य नहीं है इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
6. प्रस्ताव के साथ इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि संस्था को कही भी काली सूची में नही डाला गया है।
7. टर्नओवर/मानव संसाधन/कार्य अनुभव के आधार पर योग्य आवेदकों के अंको का निर्धारण किया जायेगा,ताकि सुयोग्य संस्था का चयन किया जा सके।
8. उक्त योजना में कम से कम दो परियोजना में कार्य किये हुए अनुभवी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। किये गये कार्य का कार्यादेश प्रति संलग्न करना होगा।
9. मांग की गई सभी कागजात जांच में नही पाये जाने पर साक्षात्कार में शामिल नही किया जायेगा।
10. Income Tax Act-1961 dh See 12A,12AA एवं Sec.80G,Sec.80GGA में निबंधित संस्था को प्राथमिकता दी जायेगी। इस हेतु स्व–सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।
11. सरकारी/गैरकारी संस्थाओं का चयन पारदर्शी तरीके से जिला स्तर पर उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति के साक्षात्कार के उपरांत किया जायेगा। साक्षात्कार तिथि की सूचना अलग से दी जायेगी।
12. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।
13. चयनित लाभुको की सूची कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

14. प्राप्त प्रस्ताव उपायुक्त महोदय के अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में खोली जायेगी। जिसमें संस्था के सदस्य या प्राधिकृत व्यक्ति उपस्थित रह सकते है।
15. किसी भी प्रकार के वैधानिक दावे का निष्पादन प0सिं0, चाईबासा जिला क्षेत्राधीन न्यायालय में निष्पादित होगा।
16. अधोहस्ताक्षरी को किसी भी समय विज्ञापन को रद्द करने, विज्ञापन की तिथि आगे बढ़ाने अथवा विज्ञापन की शर्तो/अहर्त्ताओं में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
17. चयन में समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

परियोजना निदेशक
आई0टी0डी0ए0,चाईबासा

ज्ञापांक–1441 (B) दिनांक– 30/09/19

प्रतिलिपि–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी,पश्चिमी सिंहभूम,चाईबासा को सूचनार्थ । अनुरोध है कि उक्त सूचना को जिले के वेवसाईट www.chaibasa.nic.in पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

परियोजना निदेशक
आई0टी0डी0ए0,चाईबासा

SCA LT 1